न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 65/2006 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2006/00018)

देवीसिंह पुत्र अंगनाराम जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. रामदुलारी वेवा हीरालाल
2. सतीश
3. राजेन्द्र
4. दरोगा पुत्र हीरालाल (मृतक)
5. इन्द्रवती पुत्री हीरालाल

} जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर।

6. विजयसिंह
7. प्रकाश
8. भगवानसिंह
9. गिरधारी
10. मोहनसिंह

} पिसरान हरीसिंह जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।

11. रामसिंह
12. भगवानसिंह
13. चरनसिंह (मृतक)

} पिसरान कमला जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।

13/1 माया पत्नी चरनसिंह
13/2 आशू पुत्री चरनसिंह
13/3 शिवानी पुत्री चरनसिंह
13/4 विकास पुत्र चरनसिंह

} जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।

...........असल रैस्पोडेन्टस

14. अशोक पुत्र पांची जाति गडरिया निवासी गांवडी तहसील व जिला भरतपुर।
15. सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी तहसील भरतपुर।

......................तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.5.2006 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 294 गांव गांवडी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट
2. श्री दीपक शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः— 4.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.5.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्टस असल के द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

4.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आज्ञा दाखिल खारिज संख्या 294 दिनांक 5.9.2001 सरपंच ग्राम पचांयत गांवडी पेश कर निवेदन किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 1588–1591 रैस्पोडेन्ट के मृतक पिता हरीसिंह व कमला की वहिस्सा वरावर की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। रैस्पोडेन्ट तरतीवी संख्या 14 अशोकसिंह के मृतक पिता पांची ने उक्त आराजी को धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत दुरूस्ती से अपने नाम एस0डी0ओ0 साहब भरतपुर से गुपचुप रूप से दिनांक 23.2.1994 को करा लिया ताकि उक्त दोनों नम्बरों को खसरा नम्बर 1589–1590 के साथ अपीलान्ट देवीसिंह के पक्ष में दिनांक 10.5.1995 को बयनामा करा दिया। आदेश एसडीओ भरतपुर दिनांक 23.2.1994 की अपील संख्या 35/95 ए0डी0सी0 जयपुर में दायर की गई। जिसमें तरतीवी रैस्पो0 14 अशोकसिंह के पिता पांची तथा अपीलान्ट देवीसिंह द्वारा रैस्पोडेन्टस के पक्ष में दिनांक 11.2.1999 को राजीनामा पेश किया गया था। उक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक 24.2.1999 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय पारित किया कि मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में पालना की जावे। परन्तु अपीलान्ट के द्वारा बदयान्तीपूर्वक उक्त राजीनामा दिनांक 11.2.1999 व निर्णय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 24.2.1999 को छुपाते हुये सरपंच से साज करके बयनामा दिनांक 10.5.1995 का अमल दरामद दाखिल खारिज संख्या 294 दिनांक 5.9.2001 से अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया है। इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किये गये विधिविरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 294 को निरस्त किए जाने की इस्तदुआ की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.5.2006 से दाखिल खारिज संख्या 294 ग्राम गांवडी के संबंध में पारित आज्ञा दिनांक 05.09.2001 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.2.1999 की रोशनी में उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आज्ञा पारित करें। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के इस रिमाण्ड आदेश दिनांक 19.5.2006 के खिलाफ उक्त अपील अपीलान्ट देवीसिंह के द्वारा पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2006 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि साविक आराजी खसरा नम्बर 1522 रकबा 17 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम गांवडी तहसील भरतपुर में स्थित है। जो तरतीवी रैस्पो 14 के पिता पांची की खातेदारी की आराजी है जिसे हाल वन्दोवस्ती खसरा नम्बर 1551/13, 1552/21, 1553/26, 1554/33, 1555/23, 1556/4, 1588/24, 1589/29, 1590/30, 1591/2620/15 रकबा 246 ऐयर वनकर आया जिसमें गत के अनुसार हाल में 30 ऐयर रकबा कम आया उक्त नम्बरान की कच्ची व पक्की परची तरतीवी रैस्पो 14 के पिता पांची के नाम जारी हुई लेकिन वन्दोवस्त समाप्त होते समय रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 13 के पिता हरीसिंह कमला ने कर्मचारीगण से साजिश कर खसरा नम्बर 1588 व 1591 को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया था। पांची को वन्दोवस्त समाप्त होने पर जानकारी होने पर धारा 136

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

एल आर एक्ट में सक्षम अदालत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके आदेश दिनांक 23.2.1994 के द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाया गया था। उक्त आदेश की रैस्पोडेन्ट हरीसिंह व वगैराह ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प भरतपुर में अपील पेश की, उसी दौरान विवादित आराजी को अपीलान्ट ने उचित प्रतिफल अदा करके जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद लिया। अपीलान्ट के बिना पढ़े लिखे होने के कारण रैस्पोडेन्ट ने धोखाधड़ी करते हुए यह कहते हुए कि उसका रकबा अधिक आया है। यदि राजीनामा कर लिया जाता है तो अपीलान्ट के नाम दाखिल खारिज हो जायेगा। अपीलान्ट के अनपढ होने व गरीब किसान होने का फायदा उठाकर रैस्पोडेन्ट द्वारा गलत रूप से विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा करवाया गया तथा अपील तहसीलदार भरतपुर को रिमाण्ड/पुनः निर्णय हेतु वर्ष 1999 में वापिस भिजवा दी गई। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई पैरोकारी नहीं किए जाने के कारण अपीलान्ट ने मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर दाखिला खारिज कराया जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश की गई, जिसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 के द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड की गई है। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट ने विधिवत प्रतिफल देकर विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात हुआ है। अपीलान्ट एवं मृतक पांची का रकबा पूर्व में 30 ऐयर कम था जो कि खसरा नंबर 1588/24, 1591/28 से 40 ऐयर और जाने के बाद 70 ऐयर रकबा कम होता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में बहस भी की गई थी। परन्तु इसका कोई उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया। रैस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 की गत खातेदारी की आरजी खसरा नम्बर 2621/8.17, 2613/1.6, 2608/1.9, 2607/013, 2614/0.16, 2606/0.11 रकबा 14 बीघा 16 विस्वा था जिसके हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, रकबा 266 ऐयर बना है जबकि गत रिकार्ड के आधार पर रैस्पो0 को 236 ऐयर रकबा ही बनना था, जो कि साविक रकबे से 30 ऐयर अधिक है। उक्त रकबा अपीलान्ट एवं तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 14 अशोकसिंह का है। अदालत मातहत में अपील रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 13 के पिता हरीसिंह कमला ने की थी उन्होंने पुनः निर्णय हेतु पत्रावली रिमाण्ड कराई। ऐसी स्थिति में तहसीलदार से भी निर्णय रैस्पोडेन्ट को ही कराना था जो कि वर्ष 1999 से नहीं कराया। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कि इसका भार भार अपीलान्ट पर था, गलत है। इसके अलावा राजीनामा के आधार पर खातेदारी नहीं मिलती जब तक कि स्वत्व सिद्ध नहीं हो जाता। अपीलान्ट का राजीनामा अवैध एवं खिलाफ कानून था जो शून्य प्रभाव लिए हुए था। इसके आधार पर रैस्पोडेन्ट को खातेदारी नहीं मिल सकती थी। इस संबंध में आर0आर0डी 2003 पेज नम्बर 203 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। बन्दोवस्त विभाग को गत इन्द्राजात की पुनरावृति के अधिकार है किसी की खातेदारी को कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपीलान्ट की कम हुई भूमि को नियमानुसार 136 एल आर एक्ट के तहत आदेश दिनांक 23.2.1994 के दुरूस्त कराया था यदि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि संगत नहीं होता तो माननीय उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.2.1994 से अपीलान्ट के हक में दुरूस्ती आदेश पारित नहीं किया जाता। अपीलान्ट की ओर से अपने कम रकबे की पूर्ति निर्णय दिनांक 23.2.1994 के द्वारा ही करा ली गई थी। उक्त भूमि को अपीलान्ट ने बकायदा रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय किया था। इसको हडपने की गरज से अपीलान्ट के अनपढ होने का फायदा उठाकर रैस्पोडेन्ट द्वारा राजीनामा करवा लिया गया व इस राजीनामे की आड़ में अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को रैस्पोडेन्ट हडपने पर आमादा है।वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी, परन्तु इस बिन्दु पर तहत तहत अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय के खिलाफ अपील राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है फिर भी उसे नही माना गया जो कि गलत है। अदालत तहत में अपील दाखिल खारिज के विरूद्ध थी जो मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा तस्दीक किया गया था, जिसमें कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। जिसकी पुष्टि आर.आर.डी 1996 पेज 587 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से होती है। यदि तहसीलदार द्वारा कोई निर्णय भी पारित कर दिया जाता तो इस निर्णय के आधार पर खोले जाने वाली नामांतकरण संबंधी कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है, जो कि लगान वसूली के लिये की जाती है। इसके अलावा यह भी विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के अलावा परीक्षण न्यायालय के पास अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है, परन्तु उक्त तमाम न्यायिक दृष्टान्तों को अनदेखा करते हुए तहत अदालत में अपीलान्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही का माल दीवानी के मुकदमों पर कोई असर नहीं है। इस संबंध में भी अदालत मातहत में नजीर पेश की गई थी, परन्तु इसका भी कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया था। अपीलान्ट की ओर से पेश साक्ष्य, सबूत एवं न्यायिक दृष्टान्तों पर ध्यान नहीं देकर तहत अदालत ने खिलाफ कानून व मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2006 पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.5.2006 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 रिकार्ड एवं तथ्यों पर आधारित होने तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 24.2.1999 एवं राजीनामा दिनांक 11.2.1999 से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से राजीनामा पेश किया गया था, जिसके आधार पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.2.1999 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.2.1994 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि मुताबिक राजीनामा बाद जांच राजस्व रिकार्ड में अमल की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट ने तहसीलदार भरतपुर से सम्पर्क करने के स्थान पर बयनामा दिनांक 10.5.1995 के आधार पर ग्राम पंचायत में दाखिल खारिज खुलवाने की कार्यवाही की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.2.1999 के तथ्य को छुपाते हुये एक पक्षीय दा0खा0 संख्या 294 दिनांक 5.9.2001 को अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया। उक्त दा0खा0 आज्ञा दिनांक 5.9.2001 पर सरपंच ने अपने हस्ताक्षर अंकित किये है कि सर्वसम्मति से इन्द्राज स्वीकार है परन्तु किन पंचों की सर्वसम्मति हुई है। इसका कोई उल्लेख दाखिला खारिज पर अंकित नहीं है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420, 465, 466, 467, 471, 474, 475, 120 बी0 आई पी सी के तहत एफ आई आर नम्बर 142/04 दिनांक 3.7.2004 को कोर्ट के आदेश से दर्ज कराई गई। इस पर अपीलान्ट ने अपने बचाव हेतु अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.2.1999 के विरूद्ध दिनांक 6.8.2004 को राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 35/04 देवीसिंह बनाम हरीसिंह वगैरह पेश कर दी गई। उक्त अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.2.1999 के विरूद्ध न तो कोई स्थगन आज्ञा पारित की है और ना ही उसे निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में आज की तिथि में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 24.2.1999 प्रभावी है। उक्त आदेश के प्रभावी रहते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दाखिला खारिज 294 को दिनांक 5.9.2001 को निर्णित करने में भारी भूल की गई है। अपीलान्ट ने हायर अदालतों के आदेशों को अनदेखा करते हुये ग्राम पंचायत के समक्ष भी सम्पूर्ण तथ्य नहीं रखकर अपने नाम नामान्तरकरण करा लिया, जो कि निरस्तनीय है। उक्त तमाम तथ्यों की वास्तविकता से अवगत होते हुये ही तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2006 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलाधीन आदेश में प्रकरण में हायर अदालतों के निर्देशों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसमें अभी तक अन्तिम निर्णय होना शेष है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील बिना किसी ठोस आधार के पेश की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.5.2006 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पिता हीरालाल व 7 से 12 के पति व पिता द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 व तरतीबी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत ग्राम पंचायत गांवडी की ओर से स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 294 दिनांक 05.09.2001 के विरूद्ध अपील पेश की गई। उक्त अपील पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 को पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 24.02.1999 एवं राजीनामा दिनांक 11.02.1999 के आधार पर यह माना गया है कि रैस्पोडेन्ट ने राजीनामा पेश किया था, जिसके आधार पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.1999 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.02.1994 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि मुताबिक राजीनामा वाद जांच राजस्व रिकार्ड में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अमलदरामद की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय के समय भी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 24.021999 प्रभावी था। ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्ट को तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करनी थी, परन्तु उक्त निर्णय को ग्राम पंचायत की जानकारी में लाए बिना उसके पक्ष में हुए बयनामा दिनांक 10.05.1995 के आधार पर ग्राम पंचायत गांवडी से नामांतकरण संख्या 294 दिनांक 05.09.2001 अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया। इस तथ्य का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी किया हुआ है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख है कि अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.02.1999 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील में न तो किसी तरह का कोई स्थगन है और न ही कोई अन्यथा आदेश ही पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 24.02.1999 के प्रभावी रहते हुए ग्राम पंचायत की ओर से पारित स्वीकृत किए गए नामांतकरण संख्या 294 दिनांक 05.09.2001 को उचित नही माना है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 में विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि वे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.02.1999 की रोशनी में उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आज्ञा पारित करें, अर्थात प्रकरण विवादित होने के कारण तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 24.02.1999 की रोशनी में उभय पक्षों को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के बाद विधिसम्मत आज्ञा पारित करने के निर्देश तहसीलदार भरतपुर को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत गांवडी की ओर से स्वीकृत दाखिल खारिज संख्या 294 दिनांक 05.09.2001 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 24.02.1999 के प्रभावी रहते हुए यथावत रखा जाना उचित नहीं माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 4.7.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर